राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका सं. 1244/2022

सुनीता मीना पुत्री श्री जगदीश प्रसाद मीना , आयु लगभग 33 वर्ष , निवासी 1-डी-140 मीना, कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान (रोल नं. 147095)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय को इसके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से।

2. रजिस्ट्रार परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

----प्रत्यर्थी

माननीय कार्यवाहक श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन

निर्णय

रिपोर्टेबल

निर्णय उच्चारित करने की तारीख: 20.04.2022

न्यायालय द्वारा (एम.एम. श्रीवास्तव, एसीजे)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार था, ने योग्यता की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी है। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद श्रेणीवार सूची तैयार की गई और दिनांक 11.01.2022 को नोटिस के माध्यम से उसे प्रकाशित किया गया, साथ ही एसटी श्रेणी में विधवा के रूप में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देकर उसे शामिल नहीं किया गया। वैकल्पिक आधार, जिस पर याचिका टिकी हुई है, वह यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक विधवा के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करके सामान्य श्रेणी में कट-ऑफ अंकों से अधिक हैं, इसलिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के प्रवासन के नियम को लागू करना सामान्य श्रेणी में मेरिट होने पर याचिकाकर्ता सामान्य (विधवा) की मेरिट सूची में शामिल होने का हकदार था।

2. उत्तरदाताओं द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक

मजिस्ट्रेट के 120 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 22.07.2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। उस विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया।

3. परीक्षा की योजना, जैसा कि नियमों के तहत परिकल्पित है और विज्ञापन में कहा गया है, में श्रेणी में रिक्तियों की संख्या से 15 गुना अधिक योग्यता सूची (श्रेणीवार) की स्क्रीनिंग और तैयारी के उद्देश्य से प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। परीक्षा के दूसरे चरण में लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार शामिल था। नियम और विज्ञापन यह स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम चयन सूची की तैयारी के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा। विज्ञापन दिनांक 22.07.2021 में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से आरक्षण प्रदान करते हुए, हालांकि विधवाओं के लिए श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में विधवाओं के लिए ऐसा कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि वह एसटी वर्ग से है, जिसके लिए विधवा वर्ग के लिए कोई क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, हालांकि महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण था। याचिकाकर्ता ने एसटी वर्ग में विधवाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं देने वाली ऐसी योजना पर बिना किसी आपत्ति या विरोध के प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया। याचिकाकर्ता ने, खुद को चयन की प्रक्रिया के अधीन करते हुए, विज्ञापन के खंड 15 में निहित नुस्खे को चुनौती नहीं दी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या (श्रेणीवार) से 15 गुना होगी।

4. प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद, उत्तरदाताओं ने दिनांक 11.01.2022 के नोटिस के माध्यम से श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से 15 गुना अधिक मेरिट सूची प्रकाशित की। याचिकाकर्ता ने, किसी भी सूची में अपना नाम न रखे जाने से निराश होकर, अब नियमों और विज्ञापन की योजना में शामिल चयन की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने दो-स्तरीय निवेदन प्रस्तुत किए।

याचिकाकर्ता के वकील की पहली दलील यह है कि उत्तरदाताओं ने, जहां तक सामान्य, एससी और ओबीसी का संबंध है, विभिन्न श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते समय विधवा को एक वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान किया, लेकिन ऐसा नहीं है। एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया, जो मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, उत्तरदाताओं ने सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण की नीति को समान रूप से लागू करने के लिए संवैधानिक आदेश द्वारा प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के प्रयोजनों के

लिए विधवाओं को स्वयं की श्रेणी के रूप में पहचाना और मान्यता नहीं दी है। एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी जैसी कुछ श्रेणियों के बहिष्कार के परिणामस्वरूप शत्रुतापूर्ण भेदभाव हुआ है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक जनादेश के तहत अस्वीकार्य है क्योंकि यह किसी भी उचित वर्गीकरण पर आधारित नहीं है और किसी भी तर्कसंगतता से रहित है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उत्तरदाताओं को एसटी वर्ग में विधवाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए उसी तरह उचित सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए, जिस तरह प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों के बाद श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार करते समय अन्य श्रेणियों को दिया गया है।

6. याचिकाकर्ता के वकील का दूसरा वैकल्पिक निवेदन यह है कि किसी भी मामले में, दिनांक 11.01.2022 के नोटिस के माध्यम से प्रकाशित मेरिट सूची विभिन्न श्रेणियों के कट-ऑफ अंक प्रदान करती है। सामान्य (विधवा) के लिए कट-ऑफ अंक 45 अंक है; इसका मतलब यह है कि सामान्य (विधवा), जिसने 45 अंक हासिल किए थे, उसे सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में रखा गया था, जबकि एसटी वर्ग के लिए कट-ऑफ अंक 53 है। याचिकाकर्ता ने मार्कशीट डाउनलोड की, जिससे पता चलता है कि उसने 50 अंक हासिल किए हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक 45 से अधिक हैं, जो सामान्य (विधवा) श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कट-ऑफ अंक हैं, याचिकाकर्ता प्रवासन के सिद्धांत को लागू करके सामान्य (विधवा) की मेरिट सूची में रखे जाने का हकदार है। यह तर्क दिया जाता है कि माइग्रेशन का सिद्धांत न केवल अंतिम मेरिट सूची की तैयारी के समय लागू होगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक शामिल होंगे, बल्कि माइग्रेशन का सिद्धांत प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से स्क्रीनिंग के चरण पर भी श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार करते समय समान रूप से लागू होगा।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रक्रिया में भाग लेने के बाद चयन की प्रक्रिया को चुनौती देना, उस संबंध में तय कानूनी स्थिति को देखते हुए कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के उद्देश्य से प्रारंभिक परीक्षा शामिल की गई थी, जैसा कि नियमों की योजना और विज्ञापन से पता चलता है, जिसमें श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से 15 गुना अधिक सूची तैयार करने पर विचार किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने कभी चुनौती नहीं दी। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया और सफल नहीं होने पर अब चयन की प्रक्रिया को चुनौती दी, भले ही ऐसी प्रक्रिया सही थी या नहीं।

8. जहां तक प्रवासन के नियम का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि **सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2021 (4) एससीसी 542]** के मामले में प्रवासन के नियम को सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर सुनाया गया है। उक्त निर्णय में निर्धारित प्रवासन नियम की प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से स्क्रीनिंग के चरण में सूची तैयार करने के चरण में कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाया और हमारे सामने तर्क दिया कि परीक्षा के पहले चरण का उद्देश्य नियमों की योजना के तहत उम्मीदवारों को श्रेणीवार शॉर्ट-लिस्ट करना है, जिसमें स्पष्ट शर्त है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक नहीं होंगे। अंतिम योग्यता सूची के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा। इस स्तर पर माइग्रेशन का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन बाद में अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के चरण में लागू होगा। जैसा कि सौरव यादव *(सुप्रा)* के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता चयन सूची की तैयारी के समय प्रवासन का नियम लागू होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाई गई अतिरिक्त दलील यह है कि चूंकि नियमों और विज्ञापन दोनों में श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार करने का प्रावधान है, जिसे याचिकाकर्ता ने उसकी भागीदारी के बावजूद चुनौती नहीं दी, इसलिए, उसके कहने पर, उल्लंघन के कथित आधार पर सूची की वैधता प्रवासन के नियम को चुनौती नहीं दी जा सकती।

9. हमने पक्षकारों के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुना है।

10. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (इसके बाद '2010 के नियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित होती है। इसके नियम 20 में विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है और प्रासंगिक होने के कारण इसे नीचे दिया गया है:

> *"**20. परीक्षा की योजना और पाठ्यचर्या** - (1) सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा भर्ती प्राधिकरण द्वारा अनुसूची-IV में निर्दिष्ट योजना के अनुसार दो चरणों यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।*
>
> *(2) मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों (श्रेणीवार) की कुल संख्या से पंद्रह गुना होगी, लेकिन उक्त सीमा में वे सभी उम्मीदवार होंगे जो निर्धारित अंकों के समान प्रतिशत प्राप्त करेंगे। किसी भी निचली श्रेणी के लिए भर्ती प्राधिकारी द्वारा*

मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

(3) मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, कुल रिक्तियों की संख्या (श्रेणीवार) के तीन गुना तक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए योग्य घोषित किया जाएगा।

(3-क)…….

(4) ……..

(5) ……..”

11. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चयन की प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं; पहला चरण स्क्रीनिंग का है क्योंकि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं और बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करके स्क्रीनिंग की जानी होती है। जैसा कि नियम स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के चरण में, मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या *(श्रेणीवार)* से *15* गुना होगी, लेकिन उक्त सीमा में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम कट-ऑफ पर समान प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा प्रावधान स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

12. नियमों की योजना के अनुरूप, विज्ञापन का खंड-15 भी नीचे दिया गया है:

“15. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यचर्या***:-*

(1) सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

(2) मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या (श्रेणी-वार) से पंद्रह गुना होगी, लेकिन उक्त सीमा में उनसभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, जो अंतिम कट-ऑफ पर समान प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी:- *मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एससी/एसटी वर्ग के*

उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम 40% *अंक और अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम* 45% *अंक हासिल करने होंगे।*

(3)……..

(4)…….

(5)……..”

13. दिनांक *22.07.2021* के विज्ञापन के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के लिए घोषित चयन की प्रक्रिया सख्ती से यहां ऊपर उल्लिखित शासकीय नियमों में दिए गए निर्देशों के अनुसार है। विज्ञापन में पदों की संख्या और आरक्षण निम्नानुसार प्रदान किया गया है*:*

“4. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण*:-*

रिक्तियों की कुल संख्या	वर्ष	सामान्य	आरक्षित					बेंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्ति
			SC	*ST*	*OBC*	*EWS*	*MBC*	
89	*2020* (दिसंबर *2020* तक*)*	*35* जिनमें से, *10* पद महिलाओं के लिए *10* पदों में से *02* पद विधवाओं के लिए आरक्षित	*14* जिनमें से, *04* पद महिलाओं के लिए *04* पदों में से *01* पद विधवाओं के लिए	*10* जिनमें से,*03* पद महिलाओं के लिए	*18* जिनमें से, *05* पद महिलाओं के लिए *05* पदों में से *01* पद विधवाओं के लिए	*08* जिनमें से,*02* पद महिलाओं के लिए	*04* जिनमें से,*01* पद महिलाओं के लिए	*89* रिक्तियों में से, *04* पद बेंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए*
31	*2021* (दिसंबर *2021* तक*)*	*14* जिनमें से, *04* पद महिलाओं के लिए *4* पदों में से *01* पद विधवा के लिए आरक्षित	*04* जिनमें से,*01* पद महिलाओं के लिए	*03*	*06* जिनमें से,*01* पद महिलाओं के लिए	*03*	*01*	*31* रिक्तियों में से,, *01* पद बेंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए*

**बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित* 05 *पदों में से,* 01 *(एक) पद नेत्रहीन और कम दृष्टि के लिए,* 01 *(एक) बधिर और सुनने में कठिनाई वालों के लिए,* 01 *(एक) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक, बौनापन सहित लोकोमोटर विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए और* 02 *(दो) पद खंड (क) और (घ) के*

तहत ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जिनमें प्रत्येक विकलांगता के लिए पदों में बधिर-अंधत्व भी शामिल है।

नोट:- उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुन: विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी किया जायेगा।"

14. वर्ष 2020 और 2021 की रिक्तियों के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आरक्षण प्रदान किया गया था। जहाँ तक वर्ष 2020 (दिसंबर, 2020 तक) की रिक्तियों का सवाल है, विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण, महिलाओं और अन्य श्रेणियों के लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते हुए विधवा की श्रेणी सहित प्रदान किया गया था।

15. इसी प्रकार, वर्ष 2021 की रिक्तियों के लिए भी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया। जहां तक महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का सवाल है, ऐसा आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के लिए भी प्रदान किया गया था। हालाँकि, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी श्रेणियों को छोड़कर, क्षैतिज आधार पर विधवाओं के लिए आरक्षण केवल एससी, ओबीसी और सामान्य श्रेणी में प्रदान किया गया था।

16. वर्ष 2021 (दिसंबर, 2021 तक) की रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण की एक अलग योजना प्रदान की गई। जबकि एससी, ओबीसी और सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया था, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी श्रेणी में महिलाओं के लिए कोई क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। क्षैतिज आधार पर विधवाओं के लिए आगे आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी में प्रदान किया गया था, अन्य किसी श्रेणी में नहीं।

17. विज्ञापन में उपरोक्त दो महत्वपूर्ण शर्तें जिनमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दोनों आधारों पर आरक्षण की योजना के साथ-साथ एक से अधिक चरणों वाली परीक्षा की योजना और मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या (श्रेणीवार) से 15 गुना अधिक बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की शर्त को याचिकाकर्ता द्वारा को कभी चुनौती नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति या विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लिया। ऐसा तभी हुआ जब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए गए, जिसमें उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए योग्य घोषित किया गया, जो नियमों और विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुसार श्रेणीवार तैयार किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता शामिल नहीं था। याचिकाकर्ता ने अब अपना इरादा बदल दिया और दोनों मामलों में

उत्तरदाताओं की कार्रवाई को चुनौती दी।

18. जहां तक एसटी वर्ग में विधवाओं के लिए कोई क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं किए जाने का सवाल है, हम पाते हैं कि वर्ष 2020 और 2021 दोनों की रिक्तियों के संबंध में, एसटी के लिए ऐसा कोई आरक्षण महिलाओं को नहीं प्रदान किया गया है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता इस आरक्षण नीति से संतुष्ट नहीं है, तो 22.07.2021 को विज्ञापन जारी होने पर चयन प्रक्रिया की शुरुआत में नियम या विज्ञापन को चुनौती देना आवश्यक था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने नियम और विज्ञापन की उक्त शर्त को चुनौती नहीं दी, बल्कि चयन की प्रक्रिया में भाग लिया। इस प्रकार भाग लेने के बाद, अब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद याचिकाकर्ता को आरक्षण की नीति और नुस्खे के संबंध में चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक दिया गया है। यह कानूनी स्थिति अब एकीकृत नहीं है और इसे **के.ए. नागमणि बनाम इंडियन एयरलाइंस एवं अन्य** [2009 (5) **एससी** 515], **मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** [2010 (12) **एससीसी** 576], **रामजीत सिंह कर्दम बनाम संजीव कुमार** [AIR 2020 SC 2060] **और रमेश चंद्र शाह एवं अन्य बनाम अनिल जोशी एवं अन्य** [2013 (11) **एससीसी** 309] के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं की श्रृंखला द्वारा तय किया गया है। यह बार-बार कहा और दोहराया गया है कि जिन लोगों ने आवेदन जमा किए थे और चयन प्रक्रिया को चुनौती दिए बिना चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हें असफल घोषित किए जाने के बाद विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

19. रामजीत सिंह कर्दम (सुपरा) के मामले में, निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:

> *"*मदन लाल एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य, *(1995) 3* एससीसी *486,* में इस न्यायालय ने पैराग्राफ *9* में निम्नलिखित निर्धारित किया है*:-*
>
> *"9.*.....यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई उम्मीदवार सोच-समझकर मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं है, वह पलट नहीं सकता और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया. ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला, *1986* सप्प. एससीसी *285:*

*(*एआईआर *1986* एससी *1043): (1986* लैब आईसी *796,*के मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा में उपस्थित हुआ था और जब उसे पता चला कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा तो उसने उक्त परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका दायर की, तो इस स्थिति में उच्च न्यायालय को ऐसे याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देनी चाहिए थी।*"*

वर्तमान स्थिति चयन की पूरी प्रक्रिया को ख़राब करने वाली कोई बहुत ही स्पष्ट और गंभीर अवैधता का मामला नहीं है।

20. आधिकारिक घोषणाओं और स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विज्ञापन के तहत प्रदान की गई आरक्षण नीति और शर्तों को असफल घोषित किए जाने के बाद असफल उम्मीदवारों के उदाहरण पर चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

21. हालांकि, याचिकाकर्ता के कहने पर, इस तरह की प्रस्तुतियों की योग्यता और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित विधवाओं के लिए कोई आरक्षण प्रदान न करने की सत्यता और वैधता के बावजूद, कई तर्क उठाए गए हैं, लेकिन चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। .

22. यह हमें सामान्य श्रेणी के लिए तैयार की गई सूची में शामिल करने के याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण की ओर ले जाता है, जिसमें विधवा श्रेणी की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। हम फिर से नियमों में निहित प्रावधानों पर वापस लौटेंगे जैसा कि पहले ही ऊपर उद्धृत किया गया है जो परीक्षा की योजना निर्धारित करता है। विज्ञापन के खंड 15 में निहित नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप परीक्षा में दो चरण शामिल हैं। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का है। नियम और विज्ञापन की शर्तों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करना है। यह उस प्रावधान से ही परिलक्षित होता है जो घोषित करता है कि प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता सूची के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य उन अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करना है जिन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाना है और उस उद्देश्य के लिए, नियम और विज्ञापन यह प्रावधान करते हैं कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की कुल संख्या, जिसे श्रेणीवार तैयार किया जाना है, से 15 गुना होगी।

23. क्या इस स्तर पर योग्यता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरण का नियम स्वीकार्य होगा, इस पर **राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम मेघा शर्मा और अन्य** [2020 (3) **आरएलडब्ल्यू** 2203 **(राज.)**], **धर्मवीर ठोलिया एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।** [2000 (3) **डब्ल्यूएलसी** 399] **और खुशी राम गुर्जर बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर [डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या** 10274/2021, **जोधपुर में** 28.10.2021 **को निर्णय लिया गया] के मामलों में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।**

24. धर्मवीर ठोलिया (सुप्रा) के मामले में, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सीधी भर्ती) नियमों के नियम 15 के तहत श्रेणीवार कट-ऑफ पद्धति अपनाकर स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम तैयार करने की शुद्धता और वैधता , 1999, पर विचार किया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियम 15 इस प्रकार है:

> *"15. परीक्षा की योजना, व्यक्तित्व और मौखिक परीक्षा: आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची-*III *में निर्दिष्ट योजना के अनुसार दो चरणों यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विभिन्न सेवाओं और पदों में वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों (श्रेणी के अनुसार) की कुल अनुमानित संख्या से* 15 *गुना होगी, लेकिन उक्त सीमा में वे सभी उम्मीदवार शामिल होंगे जो समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। किसी भी निचली श्रेणी के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।*
>
> *जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं जो आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किए जा सकते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आयोग प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता को उसके चरित्र, व्यक्तित्व, पता, शारीरिक गठन और राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अंक देगा। तथापि, राजस्थान पुलिस सेवा में चयन के लिए एन.सी.सी. का "सी" प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार दिए गए अंक ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार*

द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे।

बशर्ते कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले सरकार से सूचना मिलने पर आयोग विज्ञापित रिक्तियों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है।'

25. श्रेणीवार कट-ऑफ पद्धति को अपनाकर स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम तैयार करने के नियमों के तहत योजना के आलोक में, इस न्यायालय ने कार्रवाई को बरकरार रखा और इस दावे पर चुनौती को खारिज कर दिया कि आरक्षित श्रेणी में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने के हकदार होंगे। पीठ द्वारा **छतर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [एआईआर 1997 एससी 303]** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया गया जिसमें राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1962 के नियम 13 के प्रभाव की जांच की गई और इसमें यह निर्णय लिया गया:

"18. राज्य ने संविधान की प्रस्तावना में गारंटीकृत सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में राज्य के किसी कार्यालय या पद पर आरक्षण के सिद्धांत को विकसित किया था; मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत जो संविधान की त्रिमूर्ति हैं, सामाजिक शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक संवैधानिक नीति के रूप में अवसर, सामाजिक स्थिति या व्यक्ति की गरिमा की समानता प्रदान करते हैं जैसा कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 38, 39, 39ए, 46 *आदि में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद* 335 *राज्य को प्रशासन की दक्षता के साथ लगातार राज्य की सेवाओं में किसी कार्यालय/पद पर नियुक्ति के लिए दलितों और जनजातियों के दावों पर विचार करने का आदेश देता है। हालाँकि ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे नहीं हैं, फिर भी उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी सामाजिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अनुच्छेद* 15(2) *और* 17 *उनके संबंध में ऐतिहासिक और सामाजिक असंतोष को प्रस्तुत करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उद्देश्य उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में लाना है, जबकि पिछड़े वर्गों के संबंध में उद्देश्य उनकी सामाजिक और शैक्षिक*

बाधाओं को दूर करना है। इसलिए, उनके साथ हमेशा असमान व्यवहार किया जाता है और वे अनुच्छेद 16(4) *या* 15(4) *के प्रयोजन के लिए दलितों और जनजातियों के साथ एक एकीकृत वर्ग नहीं बनाते हैं। अतः यह स्वाभाविक है, कि नियम* 13 *का प्रावधान प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से* 5% *अतिरिक्त कट ऑफ अंकों को सीमित करता है। इसलिए, यह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित है जो सामान्य उम्मीदवारों के बराबर कुल अंक प्राप्त नहीं कर सके। नियम स्पष्ट रूप से परंतुक का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित रखता है। व्याख्या की प्रक्रिया से ओ.बी.सी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समान घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह तर्क कि अनुच्छेद* 16(4) *में "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग" को मिलाने का सिद्धांत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आगे वर्गीकरण करता है, जो आरक्षण के प्रयोजन के लिए अलग-अलग वर्गों के रूप में और ओबीसी को समान लाभ देने में चूक अनुच्छेद* 14 *का उल्लंघन है, इसमें कोई सार नहीं है। यदि अल्पसंख्यक न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित समानता के तर्क को स्वीकृति मिल जाती है, तो तार्किक रूप से वे भी सदन, जनता या राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के हकदार हैं, हालांकि, संविधान के अनुच्छेद* 334(क) *में एक गैर-प्रमुख खंड शामिल है, संचालन द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों तक ही सीमित हैं। संविधान के संस्थापकों ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य वर्गों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें संविधान में अलग उपचार दिया है। उचित सरकार द्वारा विशिष्ट आदेशों और सार्वजनिक अधिसूचनाओं के अलावा संविधान ने ओबीसी को स्पष्ट रूप से ऐसे लाभ प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, यह सोचना अतार्किक और अवास्तविक होगा कि ओबीसी को वही लाभ प्रदान करने की चूक, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रदान*

की गई थी, संविधान के अनुच्छेद 16 (1) *और* 14 *के तहत शून्य थी।*

19. तदनुसार हमारा मानना है कि नियम 13 *के प्रावधान के तहत ओ.बी.सी.प्रारंभिक परीक्षा में* 5% *कट ऑफ अंक के हकदार नहीं हैं।*

20. जहां तक सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और शारीरिक रूप से विकलांगों की अलग सूची तैयार करने का संबंध है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नवीनतम संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नियम 13 *में क्या निहित था, हमारा मानना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों के संबंध में अलग सूची प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित या प्रत्याशित पदों/रिक्तियों से* 15 *गुना हो जाए ताकि वे मुख्य परीक्षा में उपस्थित हो सकें। यह सत्य है कि संशोधन प्रचालन में संभावित है। हालाँकि, यह मूल रूप से बनाए गए नियम* 13 *की दक्षता में कोई कमी नहीं लाता है। उपरोक्त के मद्देनजर, लोक सेवा आयोग को उन सभी उम्मीदवारों को बुलाने का निर्देश दिया जाता है जो कानून की उपरोक्त घोषणा के संदर्भ में अधिसूचित या प्रत्याशित पदों/रिक्तियों से* 15 *गुना अधिक हैं ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके।*'

26. मेघा शर्मा (सुप्रा) के मामले में एक अन्य निर्णय में, छतर सिंह (सुप्रा) और धर्मवीर थोलिया (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि प्रवासन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद साक्षात्कार/मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते समय इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह माना गया कि माइग्रेशन का नियम केवल अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए अंतिम चयन के समय लागू होगा, उससे पहले नहीं। इस संबंध में उक्त निर्णय के पैरा 12 पर डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"12. *माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की खंडपीठों के उपरोक्त निर्णयों का निष्कर्ष यह है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद साक्षात्कार/मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते समय माइग्रेशन लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसे अंतिम चयन के समय लागू किया जाना चाहिए अर्थात केवल अंतिम मेरिट सूची तैयार करते*

समय। चूंकि, कोई श्रेणीवार साक्षात्कार नहीं था, इसलिए आंतरिक पृष्ठ 8 *पर पैराग्राफ* 2 *में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर दिनांक* 8.5.2019 *का निर्णय, स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, दिनांक* 8.5.2019 *के फैसले को वापस लिया जाता है और उसमें दिए गए निर्देशों को उस सीमा तक रद्द कर दिया जाता है, जिसमें आरपीएससी को स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सफल घोषित सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए एक साथ लाने, एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार करने और उसके बाद की आवश्यकता होती है। प्रवासन के नियम को उचित महत्व देते हुए संशोधित योग्यता सूची तैयार करें। परिणामस्वरूप, विशेष अपील की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि दिनांक* 18.5.2019 *की चयन सूची वैध मानी जाती है।*'

27. ***धर्मवीर थोलिया (सुप्रा) के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को फिर से राजस्थान राज्य और अन्य हनुमान जाट और अन्य [मनु/आरएच/0225/2016]*** के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अपनाया गया था। उस मामले में भी, तथ्यों के आधार पर परीक्षा की योजना में दो चरण शामिल थे, एक मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की संख्या को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद मुख्य परीक्षा का दूसरा चरण। डिवीजन बेंच ने विचार के लिए उठने वाले मुद्दे, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से शॉर्टलिस्टिंग की प्रासंगिक योजना को निम्नानुसार संबोधित किया:

*"*3. *रिट याचिकाओं के बैच में, बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने और मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से* 15 *गुना उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह अवैध है और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद* 14 *का उल्लंघन किया गया है। रिट याचिकाओं के समूह से जो तथ्य और परिस्थितियाँ सामने आईं, वे इस प्रकार हैं:*

" पटवारी के पद के लिए चयन राजस्थान भूमि राजस्व (भूमि रिकॉर्ड) नियम, 1957 *(संक्षेप में, इसके बाद "*1957 *के नियम" के रूप में संदर्भित) के अनुसार किया जा रहा है, जिसे राजस्थान*

अनुसूची क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रिस्तरीय, वर्ग-IV सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014 (संक्षेप में, इसके बाद "2014 के नियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाएगा और नियमों की योजना के अनुसार, अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 5 दिनांक 4.11.2015 के माध्यम से पटवारी के पद विज्ञापित किए गए, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों में अलग-अलग श्रेणी के अनुसार विभिन्न जिलों में उपलब्ध रिक्तियों को सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और अन्य सभी क्षैतिज आरक्षण सहित दर्शाया गया था। यह देखा जा सकता है कि गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, 31 जिलों के संबंध में, 3979 रिक्तियां थीं, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, 5 जिलों के संबंध में 421 रिक्तियां विज्ञापित की गईं और इस प्रकार, कुल मिलाकर 4400 रिक्तियां विज्ञापित की गईं। गैर-अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 8,18,719 आवेदन प्राप्त हुए थे और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की संख्या को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया। श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने के लिए नोटिस प्रकाशित किए गए थे और परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में यह शर्त शामिल की गई थी कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद, श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से 15 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र माना जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:-

> " 3. *प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्तियों के वर्गवार* 15 *गुना अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित करते समय बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता सूची के अंतिम प्राप्तांक पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को योग्य माना जायेगा।"

28. उस मामले में रिकॉर्ड पर तथ्यात्मक स्थिति यह है कि श्रेणीवार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कट-ऑफ अंक से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी से संबंधित उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार, यह उच्च कट-ऑफ का मामला है। सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंकों की तुलना में आरक्षित वर्ग के लिए अंक निम्नानुसार देखे गए:

> " 4. *प्रारंभिक परीक्षा* 13.2.2016 *को आयोजित की गई थी, जिसमें* 6,45,071 *उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और परिणाम* 17.3.2016 *को घोषित किया गया था और तदनुसार, मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से* 15 *गुना उम्मीदवारों की सूची निर्धारित की जाएगी। 7 मई,* 2016 *को आयोजित, बोर्ड द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणी-वार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए कट-ऑफ अंक इस प्रकार हैं: -*

सामान्य	:-	104.51
अनुसूचित जाति	:-	112.78
अनुसूचित जनजाति	:-	106.58
अन्य पिछड़े वर्ग	:-	147.45

5. जाहिर है, आरक्षित वर्ग एससी/एसटी/ओबीसी के अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि जब सामान्य वर्ग में 104.51 *अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, तो आरक्षित वर्ग एससी/एसटी/ के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा रहा है।* 104.51 *अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी को कम से कम मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने का वैध अधिकार है और रिट*

याचिकाओं का एक समूह इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया कि आरक्षित श्रेणियों एससी/एसटी/ओबीसी के अभ्यर्थी 104.51 *अंक (मान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के अंतिम कट-ऑफ अंक) प्राप्त कर रहे हैं, उन को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। रिट याचिकाओं के समूह में विद्वान एकल न्यायाधीश ने* 27.4.2016 *और उसके बाद भी ऐसे अंतरिम आदेश पारित किए।*

6. *संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के सदस्य हैं और उन्होंने* 4 *नवंबर,* 2015 *के विज्ञापन के तहत बोर्ड द्वारा शुरू की गई पटवारी पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने आवेदन जमा किए थे। वे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए। लेकिन, उनकी मुख्य शिकायत यह है कि बोर्ड ने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने और मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से* 15 *गुना उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की योजना की गलत व्याख्या की है और बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया बदल गई है। यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के हितों के लिए दमनकारी है। यह आगे कहा गया है कि जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया है और बोर्ड ने सूची को श्रेणी-वार इस प्रकार तैयार किया है कि इस तथ्य के बावजूद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची पूरे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर तैयार की गई है, कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि बोर्ड ने अनारक्षित वर्ग के पक्ष में सकारात्मक आरक्षण लागू कर दिया है। इस तरह का आरक्षण सामान्य वर्ग के पक्ष में बड़े पैमाने पर सकारात्मक*

कार्रवाई के समान है, जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश का उल्लंघन है।

29. धर्मवीर थोलिया (सुप्रा) के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए, लगभग समान नियम और परीक्षा की योजना में और छतर सिंह (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए, हनुमान राम (सुप्रा) के मामले में भी ऐसा ही किया गया था, इस प्रकार है:

"17. चत्तर सिंह (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की जांच करने के बाद, धर्मवीर थोलिया (सुप्रा) में इस न्यायालय की खंडपीठ ने अंततः इस प्रकार टिप्पणी की:-

"49. 1999 की नियमावली का नियम 15 मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रदान की गई आरक्षण नीति के बारे में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के संबंध में और साथ ही उद्धृत निर्णय विवाद में नहीं हैं, लेकिन हमारे विचार में वह ऐसे हैं, जिनसे कोई मदद या शॉर्टलिस्टिंग के इस चरण में याचिकाकर्ताओं को सहायता नहीं मिलेगी। सभरवाल मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया, जो पदोन्नति नीति और रोस्टर प्रणाली के आधार पर रिक्तियों से संबंधित है, जो हमारी राय में, अंतिम सूची की तैयारी के समय ही लागू होगा। नियम 15 के अनुसार, आरपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या से 15 गुना उम्मीदवारों को अनुमति देगा और इस नियम को छतर सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है। आरक्षण नीति केवल भर्ती के लिए है और परीक्षा में शॉर्टलिस्टिंग के लिए कोई अन्य आरक्षण नीति नहीं है। इस प्रकार, आरपीएससी की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के साथ-साथ 1999 के नियमों के दायरे में है। यदि याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो हजारों मेधावी उम्मीदवार जो के अनुसार चयनित होने पर प्रारंभिक परीक्षा प्रभावित होगी और उनका हित खतरे में पड़ेगा।

50. *सेवा आयोग द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे से यह पता चलता है कि आयोग ने 27 मई, 2000 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और सफल उम्मीदवारों की सूची निर्धारित रिक्तियों की संख्या से 15 गुना अधिक है। उस श्रेणी के लिए उस दायरे में न आ पाने वाले उम्मीदवारों की सूची को भी प्रकाशित किया गया। अतिरिक्त हलफनामे के पैराग्राफ 3, 4, 5 और 6 में दिए गए विवरण को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी है:*

> 3. *सामान्य श्रेणी में, कुल मिलाकर 252 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं और 105 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। इस प्रकार, सामान्य वर्ग में संयुक्त रिक्तियां 357 होती हैं और आयोग ने नियमों के नियम 15 के अनुसार 5412 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश दिया है।*
>
> 4. *इसी तरह, ओबीसी श्रेणी में आरक्षित संयुक्त रिक्तियां 140 हैं और आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 2109 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया है, जो ओबीसी श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों/पदों की संख्या का 15 गुना है। इसी तरह, एससी श्रेणी में पुरुष और महिला दोनों के लिए 102 संयुक्त रिक्तियां आरक्षित हैं और आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 1538 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया है, जो उस श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों की संख्या का 15 गुना है।*
>
> 6. *एसटी श्रेणी में, पुरुष और महिला दोनों के लिए 78 संयुक्त रिक्तियां आरक्षित की गई हैं और आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 1190 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया है, जो उस श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों की संख्या का 15 गुना है।*

51. *जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, एक श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची को उनकी योग्यता के आधार पर दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए है। मुख्य परीक्षा और यह उम्मीदवारों की योग्यता का गठन नहीं करती है जो नियमों के नियम 17*

के तहत अंतिम योग्यता की तैयारी के समय की जाती है। यदि याचिकाकर्ताओं की यह दलील स्वीकार कर ली जाए कि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग सूची तैयार करने के बजाय, प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त समग्र योग्यता के आधार पर एक सूची तैयार की जानी चाहिए, तो इसके परिणामस्वरूप 1498 *उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। सामान्य वर्ग और उनके स्थान पर ओबीसी वर्ग के* 1051 *अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित किया जाएगा; एससी वर्ग के* 137 *उम्मीदवारों को भी सामान्य वर्ग में स्थानांतरित किया जाएगा और इसी तरह, एसटी वर्ग के* 175 *उम्मीदवारों को भी सामान्य वर्ग में स्थानांतरित किया जाना है। इसके अलावा, सामान्य श्रेणी में, जिन महिला उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी (पुरुष) के लिए निर्धारित उच्च कट-ऑफ अंक हासिल किए हैं, उन्हें भी* 157 *की संख्या में सामान्य श्रेणी (पुरुष) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पैरा* 9 *के अनुसार यदि पुनरीक्षण होना है तो याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी में कट-ऑफ अंकों को निम्नलिखित तरीके से संशोधित करना होगा:*

कट ऑफ़ अंक

संशोधित:

	पुरुष	*महिला*
1. *सामान्य*	*216*	*139*
2.*अ.जा.*	*158*	*90*
3.*अ.ज.जा*	*166*	*72*
4.*ओबीसी*	*185*	*132*

विद्यमान:

(1) सामान्य 203 144

(2) अ.जा. 163 91

(3) अ.जा.जा 174 72

(4) ओबीसी 204 136

52. हमारी राय है कि छतर सिंह के मामले *(सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर इस तरह की कवायद की आवश्यकता नहीं है।

18. इस न्यायालय की खंडपीठ का स्पष्ट मानना है कि एक श्रेणी से संबंधित श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से *15* गुना उम्मीदवारों की सूची को उनकी योग्यता के आधार पर सफल उम्मीदवारों की सूची में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए होती है और यह उम्मीदवारों की योग्यता का गठन नहीं करती है, जो कि उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता तैयार करने के समय की जाती है।

19. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य उम्मीदवारों की पात्रता के बुनियादी मानक को सुनिश्चित करना है और यहां तक कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश के चरण में भी पदों के आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद *16(4)* के तहत आवेदकों के लिए आरक्षण की भी अनुमति नहीं है।

20. जब भी पदों की सीमित संख्या को भरने के लिए कठिन और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए कानूनी प्राधिकरण के अस्तित्व से इसे मान्यता मिली है। निर्विवाद रूप से, चयन प्रक्रिया में, प्रारंभिक परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की गई थी, मुख्य परीक्षा का हिस्सा नहीं है। इसमें उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन नहीं किया जाता है और केवल पात्रता मानदंड तय किए जाते हैं। इस तरह की परीक्षा उम्मीदवारों की मूल योग्यता को परखने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। राज्य या भर्ती प्राधिकरण कानून के संवैधानिक आदेश का अनुपालन कैसे और किस तरीके से करेगा, इस पर आमतौर पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं है।

21. यदि प्राप्त आवेदन सीमित पदों के लिए बड़ी संख्या में हैं, तो भर्ती प्राधिकारी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए एक तरीका अपनाने के लिए यह हमेशा खुला है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मानदंड तर्कसंगत और

समझदार अंतर के आधार पर उचित होना चाहिए, जो यह कि है प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ सांठगांठ और जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया है कि जब भी नियमों या चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कोई विशेष प्रावधान हो, तो उन नियमों या निर्देशों का पालन करना होगा। यहां तक कि नियमों/विनियमों के अभाव में भी, उम्मीदवारों की संख्या की छोटी सूची को बी. रामकिचेनिन उर्फ बालागांधी बनाम भारत संघ और अन्य *(2008) 1* एससीसी *362)* के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा हमेशा मंजूरी दी गई है। इसका प्रासंगिक भाग *(पैरा 16)* इस प्रकार है:-

> 'भले ही शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कोई नियम नहीं है और न ही पद के लिए आवेदन मांगने वाले विज्ञापन में इसका कोई उल्लेख है, यदि बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार आवेदन करते हैं और उन सभी का साक्षात्कार लेना प्राधिकारी के लिए संभव नहीं है, तो चयन निकाय शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक या दो पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से *1000* से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो उन सभी का साक्षात्कार लेना संभव नहीं हो सकता है। इस स्थिति में, शॉर्ट-लिस्टिंग की प्रक्रिया चयन निकाय द्वारा इसका सहारा लिया जा सकता है, भले ही नियमों या विज्ञापन में शॉर्टलिस्टिंग का कोई उल्लेख नहीं है।"

22. उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग, यदि यह संख्या बड़ी और निपटान योग्य नहीं है, तो यह कानून द्वारा स्वीकार्य है और इसके लिए अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाया जा सकता है, लेकिन मानदंडों का तर्कसंगत आधार होना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद *14* और *16* के अधिदेश के अनुरूप होना चाहिए। यदि भर्ती प्राधिकारी उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक योग्यता या लिखित परीक्षा आदि आयोजित करके शॉर्टलिस्ट करने का निर्णय लेता है, तब भी मानदंड विधि के अनुसार उचित, तर्कसंगत और अनुमेय होना चाहिए।

23. पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या को संक्षिप्त करने के

संबंध में निर्णय किसी अनावश्यक विचार पर आधारित नहीं होगा, बल्कि साथ ही प्रश्नाधीन पद के लिए आवेदकों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की पद्धति को अपनाकर की जाती है, जो उम्मीदवारों की पात्रता, पदों के आरक्षण के नियम या यहां तक कि आवेदकों के लिए आरक्षण का आकलन करने का एक तरीका है जो संविधान के अनुच्छेद *16(4)* के तहत स्वीकृत या अनुमति योग्य नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक न तो मुख्य परीक्षा का हिस्सा होते हैं और न ही नियुक्ति देने के लिए उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाते हैं।

24. हमारे विचार में, आरक्षण भर्ती के समय लागू किया जाता है, न कि उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा के समय और निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी परीक्षा सुनिश्चित करना भर्ती प्राधिकारी का कर्तव्य है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आयोजन में अंतर होता है। प्रारंभिक परीक्षा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाती है और ऐसी परीक्षा में प्राप्त अंकों को उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता निर्धारित करते समय नहीं जोड़ा जाता है और इस प्रकार, प्रारंभिक परीक्षा के चरण में आवेदकों का आरक्षण लागू नहीं होता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है। छत्तर सिंह (सुप्रा*)* के मामले में और धर्मवीर थोलिया (सुप्रा*)* के मामले में भी इस न्यायालय की समन्वय खंडपीठ द्वारा। हम अपने विचार में स्पष्ट हैं कि आरक्षण का नियम उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते समय लागू नहीं किया जाता है और आरक्षण के लिए अनुच्छेद *16(4)* चयन प्रक्रिया के हर चरण में लागू नहीं किया जाता है जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में परिकल्पित किया गया है। और हम धर्मवीर ठोलिया (सुप्रा*)* के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं।

25. यह मुद्दा हमेशा तब उठता है जब आरक्षित वर्ग सामान्य वर्ग की तुलना में बेहतर अंकों के साथ अर्हता प्राप्त करता है और आरक्षित वर्ग के सदस्यों की संख्या *15* गुना के भीतर होने के बावजूद, आरक्षित वर्ग से अधिक उम्मीदवारों को

मुख्य परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो उम्मीदवारों की संख्या को शॉर्टलिस्ट करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की व्याख्या निर्धारित प्रक्रिया या नियमों के अनुसार, यदि ऐसा प्रदान की गई है, पर निर्भर रहती है, लेकिन हम पाते हैं कि जब भी सामान्य वर्ग की कट-ऑफ आरक्षित वर्ग की कटऑफ से कम है, यह सवाल हमेशा उठता रहा है। लेकिन, हमारे सुविचारित विचार में, मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सूची को शॉर्टलिस्ट करने और प्रकाशित करने का कानूनी प्रस्ताव कानून के तय प्रस्ताव पर निर्भर रहेगा, न कि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर जब और कभी यह जांच के लिए आया हो।

26. हमारे विचार में, नियम *15* के अनुसार श्रेणी-वार रिक्तियों की संख्या से *15* गुना उम्मीदवारों की सूची जारी करने की जांच करते हुए धर्मवीर ठोलिया (सुप्रा*)* के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद, छतर सिंह (सुप्रा*)* के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए शीर्ष अदालत ने सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणियों से संबंधित सूची को कानून के अनुरूप और संविधान के जनादेश के अनुरूप बताया, यह मुद्दा अब किसी का नहीं है और यह एकीकृत है तथा विचार के लिए खुला है, जब तक कि हम इस न्यायालय की समन्वय खंडपीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से भिन्न न हों।"

30. गरिमा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू. संख्या 1448/2016, 08.05.2018 को निर्णय लिया गया] के मामले में एक अन्य निर्णय में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने धर्मवीर ठोलिया (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए, निम्न निर्णय दिया:

"हम उपरोक्त मुद्दे की सराहना करते हैं। प्रश्न का उत्तर इस न्यायालय द्वारा धर्मवीर ठोलिया *(*सुप्रा*)* के मामले में दिया गया था। मेधावी आरक्षित जाति के उम्मीदवारों के खुली श्रेणी में प्रवास के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का सिद्धांत शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए लागू नहीं होगा। सूची केवल सामान्य जाति के अभ्यर्थियों की होनी चाहिए। दरअसल, संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि आरक्षण की व्यवस्था ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से की जायेगी। उपरोक्त सिद्धांत इस मुद्दे पर निर्णय देते समय न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है। जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, *(1995) 5* एससीसी

173 के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला भी मामले का समर्थन करता है। यदि शॉर्ट-लिस्टिंग के चरण में भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण लागू किया जाता है, तो वस्तुतः यह चयन के हर चरण में आरक्षण देने के समान होगा, हालांकि, इसका मतलब भर्ती के अंतिम चरण और नियुक्ति देते समय लागू करना है।

राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम हनुमान जाट एवं अन्य, दिनांक *13* मई *2016* के आदेश द्वारा निर्णित डी.बी. सिविल विशेष अपील *(*डब्ल्यू*)* संख्या *635/2016* के आलोक में विशेष अपीलों के समूह में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में दिया गया निर्णय भी प्रासंगिक होगा। उसमें विवाद केवल *1999* के नियमों के अनुसरण में नहीं बल्कि उसी मुद्दे पर था। वहीं, आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा के लिए प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को सख्ती से पंद्रह गुना प्रवेश देने के लिए सूची की व्यवस्था की थी। वहीं अभ्यर्थियों का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण नहीं किया गया। उपरोक्त को आरक्षित जाति के उम्मीदवारों ने यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी थी कि आरक्षित जाति श्रेणी से खुली श्रेणी में उम्मीदवारों के प्रवासन से इनकार करने के कारण उनके अधिकार प्रभावित हुए हैं। उसमें दी गई दलील स्वीकार नहीं की गई*….”*

31. ख़ुशी राम गुर्जर *(*सुप्रा*)* के मामले में हालिया न्यायिक फैसले में, यह न्यायालय परीक्षा की योजना के तहत मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर सूची तैयार करने की वैधता और विधिमान्यता पर विचार कर रहा है। बशर्ते उस मामले में भी उपरोक्त कानूनी स्थिति की पुनः पुष्टि की गई हो। उपरोक्त मामले में, विज्ञापन के खंड *12* में निहित परीक्षा की योजना नीचे दी गई है*:*

"उम्मीदवारों की परिक्षा निम्नलिखित चरणों में संचालित की जाएगी:-

चरण (1) स्क्रीनिंग परीक्षा

यदि, विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या कुल रिक्तियों के 10 *गुना से अधिक है, तो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। <u>वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाएगी और अंतिम मेरिट सूची तैयार करते</u>*

समय उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(i) *लिखित परीक्षा कुल* 100 *अंकों की होगी, इसकी अवधि* 2 *घंटे होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों से बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे*:-

(क) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में लिखे यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड और सड़क निर्देशों को पढ़ने के संबंध में जानकारी।

(ख) वाहन और सड़क किनारे मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित।

(ग) यातायात नियमों की जानकारी से सम्बंधित।

(घ) यातायात संकेतों के ज्ञान से संबंधित।

(ii) *उपरोक्त विषयों में से पहले विषय से* 20 *अंक, दूसरे विषय से* 20 *अंक, तीसरे विषय से* 30 *अंक और चौथे विषय से* 30 *अंक के प्रश्न होंगे।*

(iii) *लिखित परीक्षा में कुल* 100 *प्रश्न* (*प्रत्येक* 1 *अंक का*) *होंगे।*

(iv) *गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।*

(v) *लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी।*

(vi) *लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की कुल संख्या के* 10 *गुना* (*श्रेणी-वार*) *उम्मीदवारों को नौकरी परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, जो अंतिम कट-ऑफ* (*श्रेणी-वार*) *पर समान अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया जाएगा।*

(vii) *जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में* 40 *अंक प्राप्त करने होंगे और अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों को* 45 *अंक प्राप्त करने होंगे।*

(viii) *लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र की मॉडल उत्तर कुंजी लिखित परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी* http//www.hcraj.nic.in *पर प्रकाशित की जाएगी। मॉडल उत्तर कुंजी के खिलाफ उम्मीदवारों की आपत्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा और तरीके के भीतर भेजी जाएंगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त किसी भी*

आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। तदनुसार प्राप्त आपत्तियों पर एक सक्षम समिति द्वारा विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उत्तर कुंजी को संशोधित करने के बाद, अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है और इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।

[*बल प्रदान किया गया*]"

32. चतर सिंह (सुप्रा), मेघा शर्मा (सुप्रा), धर्मवीर ठोलिया (सुप्रा) और गरिमा शर्मा (सुप्रा) की कानूनी स्थिति को कुशी राम गुर्जर (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए में निम्नानुसार पुनः पुष्टि की गई है , मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के मामले में प्रवासन के नियम की प्रयोज्यता के दावे की समान चुनौती से निपटना। :

"चतर सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण और प्रवासन की अवधारणा उच्च श्रेणी को शॉर्टलिस्टिंग कवायद में लागू नहीं किया जा सकता है जो कि राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के नियम 25 के तहत प्रदान किया गया है.....।"

33. ख़ुशी राम गुर्जर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने देखा कि हनुमान जाट (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, लेकिन तर्क यह है कि उच्च का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को यह मानते हुए स्वीकार नहीं किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यवस्था की गई थी।

34. सौरव यादव (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अब योग्यता सूची तैयार करते समय ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवासन के मामले में लागू सिद्धांतों के संबंध में विवाद को सुलझा लिया है, जो कि एक विशिष्ट मामला है अर्थात सामान्य (महिला) की सामान्य श्रेणी में नियुक्त अंतिम उम्मीदवार की तुलना में ओबीसी (महिला) द्वारा अधिक अंक प्राप्त करने का दावा। यहां ऊपर उद्धृत निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय के लगातार दृष्टिकोण के आलोक में, मेरिट सूची में रखे जाने के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अपनी श्रेणी से सामान्य श्रेणी में

स्थानांतरित करने का नियम अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय लागू होगा, न कि जब प्रारंभिक परीक्षाओं के माध्यम से स्क्रीनिंग के चरण में उम्मीदवारों को श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

35. परिणामस्वरूप, बिना आधार के होने के कारण याचिका में बल नहीं है और तदनुसार खारिज की जाती है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति **(महेंद्र मोहन श्रीवास्तव), एसीजे**

Mohit Tak/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।